सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-401/2022 **दिनांक- 05-दिसम्बर-2022**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- पवई

ग्राम ओरिल में हुयी घटना का सफल अनावरण, हत्या का आरोपी आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार

➡दिनांक- 03.12.2022 को पुलिस को सूचना मिली कि थाना पवई क्षेत्र के ग्राम ओरिल नहर के पास एक अज्ञात किशोर का शव है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची।

➡शव का शिनाख्त दिपांशू पुत्र दिलीप विश्वकर्मा s/o लालमन ग्रा0-सैदपुर पो0-खानजहापुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ के रूप में हुयी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

➡ दिनांक- 04.12.2022 को वादी दिलीप विश्वकर्मा s/o लालमन ग्रा0-सैदपुर पो0-खानजहापुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 02.12.2022 को समय 16.00 बजे अभियुक्त अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पुत्र दिपांशू उम्र 13 वर्ष को घर से शादी समारोह में ले गया और मारकर नहर(बाहा) में फेक दिया गया।

➡जिसके सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 328/22 धारा 302 भादवि बनाम अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष पंजीकृत किया गया।

➡आज दिनांक- 04.12.2022 को थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को अम्बारी कोहड़ा जाने वाले नहर के तिराहे के पास से समय 21.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡**गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि** मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में (मृतक) दिपांशु को बहला फुसलाकर शादी मे चलने को कहा तो वह बताया कि कपडा नही है तब मै अपना जैकेट उसको दिया फिर वह कहा कि चप्पल नही है तो मैने अपनी सैंडिल भी उसको दिया और किसी तरह से बहला फुसलाकर शादी में लाया और बारात मे रात करीब 08 बजे मैं अपने दोस्त प्रिन्स से साइकिल मांगकर शराब के ठेके पर ले गया और उसे शराब पिलाया जब नशा हो गया तो वापस बारात वाले घर पर आया और जान बूझकर अंकित के साथ शौचालय करने को गया, वहां पर अभियुक्त दिपांशु के साथ गलत काम कार्य करने लगा तो (मृतक) दिपांशु मना कर उठ गया और कहने लगा कि बारात में जाकर ये सब बताउंगा तो मैं उसे समझाने का प्रयास किया पर वह नही माना तो गुस्से में हाथ से कडा निकालकर उसी कडे से उसको मार दिया तो उसकी आंख के पास से खून निकलने लगा जिससे वह बेहोश हो गया तो मै डर गया कि ये किसी को बता न दे तो मैं दिपांशु को गन्ने के खेत के पीछे ले गया और मैने उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया वह मर गया फिर मै उसे उसी हालत में छोडकर बारात मे वापस आया और थोडी देर घूमने के बाद पुनः सबसे निगाह बचाकर फिर वही पहुंचा और शव को उठाकर थोडी दूरी पर नाले में उपर से फेंक दिया और मै फिर वापस बारात में एक से दो बजे के बीच में आया और सबसे छिपता रहा चूंकि दिपांशु की लाश फेंकते समय मेरे कपडे पर मिट्टी व खून लग गया था मेरी शर्ट का उपर का बटन भी टूट गया था इसलिए सुबह चार बजे ही बारात से बिना किसी को बताये मै पैदल घर चला आया।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 328/22 धारा 302 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:—

1. अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

बरामदगी

1- घटना में प्रयुक्त 01 अदद कड़ा व कपड़े व जुते बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द, का0 विशाल गोंड़, का0 अवधेश यादव थाना पवई, आजमगढ।